

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० ५२२

दिनांक:- 07-06-2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री सरता पि० रामा मीणा

जति मीणा उम्र ०५६ नि० महुडी तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदायत महुडी दिनांक 07-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०१०१एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा महुडी पंचायत समिति महुडी में स्थित खाता संख्या 251 पर आराजी नं० 109 कुल ० बीघा ३ बिस्वा किता 1 योग रकबा ०.०३ बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काशत करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी इन्दी पारि वीराम नि० महुडी ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम महुडी के खसरा नं० 102 रकबा ० बीघा 18 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा ०-18 की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काशतकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा महुडी में स्थित खाता संख्या 251 पर आराजी नं० 109 रकबा ०-०३ बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा ०-०३ बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा महुडी में स्थित खाता संख्या 251 पर आराजी नं० 109 रकबा ०-०३ बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा ०-०३ बिस्वा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक मैत्री के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 500/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फँसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 डूंगरपुर